कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/सैटअप परिवर्तन/2019/135 दिनांकः– 01.08.19

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
   माध्यमिक/प्रारम्भिक

विषयः– एस.बी.सिविल याचिका संख्या 14586/2018 अनिल लाम्बा बनाम राज्य व अन्य 159 याचिका (शेड्यूल–सी में अंकित) में पारित निर्णय दिनांक 25/07/2019 के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में किये गये पदस्थापन/समायोजन/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में याचिकार्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों को 15 अगस्त तक सक्षम स्तर से निस्तारण करने के निर्देश दिये गये है । उक्त सम्बन्ध में अभ्यावेदन निस्तारण हेतु कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

क.सं	पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जिला	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित जिला	सदस्य सचिव
3	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धित जिला	सदस्य

उक्त सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि :–

1. पूर्व में गठित कमेटी द्वारा याचिकार्थियों के निस्तारित किये गये अभ्यावेदनों को दिनांक 15/08/2019 तक पुनः निस्तारित किया जाना है।
2. कमेटी द्वारा पुनः अभ्यावेदन निस्तारित किये जाने तक उक्त कम में पूर्व में जारी सैटअप परिवर्तन/ पदस्थापन सम्बन्धी आदेश स्थगित रहेंगें।
3. कमेटी द्वारा प्राप्त समस्त अभ्यावेदन का समेकित रूप से निस्तारण न करके याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दुओं के अनुसार आख्यात्मक आदेश के द्वारा माननीय न्यायालय निर्णय दिनांक 25/07/2019 के कम में पृथक–पृथक निस्तारण किया जाना है।
4. याचिकार्थी दिनांक 05/08/19 तक अपना नया अभ्यावेदन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को प्रस्तुत कर सकेंगें।
5. केवल याचिकार्थियों से ही प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार किया जाना है।
6. अभ्यावेदन निस्तारण आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराते हुए एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक (विधि) जोधपुर एवं इस कार्यालय को उलब्ध करावें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस।
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर ।
2. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, को निर्देशित किया जाता है कि कमेटी द्वारा अभ्यावेदनों के निस्तारण प्रकिया का पर्यवेक्षण (मॉनिटरिंग)करेंगे।
5. समस्त सम्बन्धित याचिकार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक के समक्ष दिनांक 05/08/2019 तक अपना नया अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगें।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
Email- ad.estt.dse@rajasthan.gov.in Contact-0151-2522238